षोडश माला, खंड 21, अंक 12 **गुरुवार, 1 दिसम्बर, 2016**

10 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

संजय कुमार
उप निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिंदी संस्करण का अनुवाद कृत्रि मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिंदी संस्करण में सम्मिलित मूल हिंदी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिंदी अनवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखिए।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 21, दसवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 12, गुरुवार, 1 दिसम्बर, 2016 / 10 अग्रहायण, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
दिनांक 29 नवंबर, 2016 को जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादी हमले में 7 वीर सैनिकों के शहीद होने और अन्य कई लोगों के घायल होने के बारे में	9
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अन्य यात्रियों को ले जा रहे निजी विमान के कोलकाता हवाई अड्डे पर हवाई यातायात के कारण उतरने में कथित विलम्ब के बारे में	10-19
(दो) 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में	53-63
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	20-34
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 और 222	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	35
तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 240	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 38-47

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
16वां और 17वां प्रतिवेदन 48

कृषि संबंधी स्थायी समिति
18वां, 27वां और 30वां प्रतिवेदन 49

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति
286वें से 291वां प्रतिवेदन 50-51

औद्योगिक विकास के बारे में दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य
श्रीमती निर्मला सीतारमण 51-52

नियम 377 के अधीन मामले 64-83

(एक) सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया 64-65

(दो) बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंडक नदी से गाद निकालने की आवश्यकता

श्री जनक राम 66

(तीन) स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के जरिए कैंसर के संबंध में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 67

(चार) उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित चित्रकूट में सूर्यकुंड अथवा बेदी पुलिया में एक रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 68

(पांच) जम्मू और कश्मीर के कारगिल में अस्पताल के निर्माण को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री थुपस्तान छेवांग 69

(छह) महिला कैदियों के कल्याण हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश 70

(सात) बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन के फेरों की संख्या बढ़ाने और इस ट्रेन में सभी श्रेणियों में आरक्षित बर्थ की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 71

(आठ) राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जयसमन्द झील में नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु परियोजना से संबंधित प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा 71

(नौ) सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी 73

(दस) उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर अथवा सहारनपुर में चिकनगुनिया और डेंगू के उपचार हेतु पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं वाले चिकित्सालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री हुकुम सिंह 74

(ग्यारह) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में डाकघरों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री देवुसिंह चौहान 75

(बारह) मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित नरसिंहगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री रोड़मल नागर 76

(तेरह) भारतीय सेना में जाति आधारित रेजीमेंटों की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज 77

(चौदह) केरल उच्च न्यायालय की कार्यवाही को कवर करने हेतु मीडिया पर तथाकथित रूप से लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में

श्री एंटो एन्टोनी 78

(पंद्रह) नए करेंसी नोटों पर मणिपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में

श्री थोकचोम मेन्या 79

(सोलह) केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर 80

(सत्रह) तमिलनाडु के विरुधुनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तोप्पुर में एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. राधाकृष्णन 81

(अठारह) करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के कारण तमिलनाडु के किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में

श्री आर. गोपालकृष्णन 82

(उन्नीस) स्कूलों में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिंस प्रदान करने हेतु वेंडिंग और इनसिनरेटर मशीन लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 83

(बीस) उड़ीसा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिल्ला सल्की नदी के ऊपर बहुउद्देश्यीय चेक डैम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह 84

(इक्कीस) लोनावला और खंडाला की यात्रा करने वाले पर्यटकों हेतु वाहन पार्किंग सुविधा की व्यवस्था करने के लिए लोनावला रेलवे स्टेशन के निकट खाली पड़ी रेल भूमि का महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 85

(बाईस) अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को सैन्य बलों के कार्मिकों के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी 86

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 1 दिसंबर, 2016 / 10 अग्रहायण, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

दिनांक 29 नवंबर, 2016 को जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में आतंकवादी हमले में 7 वीर सैनिकों के शहीद होने और अन्य कई लोगों के घायल होने के बारे में

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे 29 नवंबर, 2016 को जम्मू और कश्मीर के नगरोटा में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में 7 वीर सैन्यकर्मियों के शहीद होने तथा कई अन्यों के घायल होने की सूचना मिली है।

सभा इन आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करती है और शोक-संतप्त परिवारों के दुख और पीड़ा पर गहरा शोक व्यक्त करती है। हम घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

(तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और अन्य यात्रियों को ले जा रहे निजी विमान के कोलकाता हवाई अड्डे पर हवाई यातायात के कारण उतरने में कथित विलम्ब के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सुदीप जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय : महोदया, कल हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी पटना से कोलकाता लौट रही थीं। यह सायं 7.30 बजे की बात है। विमान को कोलकाता में उतरना था, लेकिन यातायात के कारण, विमान 30 मिनट के लंबे समय तक हवा में परिभ्रमण करता रहा। फिर, पायलट ने ए.टी.सी. को संकेत भेजा कि केवल सात मिनट का ईंधन शेष है और उस समय तत्काल लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन ए.टी.सी. ने अन्य विमान को उतरने की अनुमति दे दी जो अगरतला से आ रहा था और यह क्रम में दूसरा विमान था।

लैंडिंग के समय, यह पाया गया कि सभी आपातकालीन लैंडिंग व्यवस्थाएँ वहाँ तैयार थीं - एम्बुलेंस, दमकल विभाग - मानो विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है कि ईंधन केवल सात मिनट की उड़ान के लिए बचा था। जांच के बाद इसकी पुष्टि होगी। हम यह पूछ रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई मकसद

है। यह एयर इंडिया की उड़ान नहीं थी। यह इंडिगो की उड़ान थी। सुश्री ममता बनर्जी आमतौर पर इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करती हैं और ए.टी.सी. का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। संबंधित माननीय मंत्री यहां हैं। माननीय अनन्तकुमार जी ने आज सुबह मुझे आज के कार्यसूची के बारे में चर्चा करने के लिए फोन किया। मैंने उन्हें भी इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा : "सुदीप दा, मुख्यमंत्री को सूचित कीजिए कि मैं इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त करता हूं।" इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार पूरी प्राथमिकता के साथ इस मामले को उठाए और हम चाहते हैं कि सुश्री ममता बनर्जी की सुरक्षा और उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसपर भारत सरकार को पूरी प्राथमिकता के साथ ध्यान देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: अवश्य।

... (व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): महोदया, हम सुश्री ममता बनर्जी और सभी हवाई यात्रियों की कुशलता की कामना करते हैं। भारत सरकार के रूप में, राज्य सरकारों और नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से सभी यात्रियों की और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। साथ ही, हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन दें और मैं माननीय सदस्यों और उनके सभी मित्रों की भावनाओं को शान्त करता हूं। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: हाँ, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू): महोदया, आपकी अनुमति से, *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नहीं, इस पर नहीं बोलना है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह कोई सब के चर्चा का विषय नहीं है। आप लोग बैठिए।

…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: महोदया, आपकी अनुमति से मैं माननीय सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।*… (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : हाँ, हाँ सबकी सहानुभूति है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हर बात पर ऐसे मत करो, उन्होंने अपनी बात कही है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ सुनिए तो सही कि मंत्री जी क्या कह रहे हैं।

…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: इंडिगो फ्लाइट 6ई-342 सांय 7.36 बजे उड़ान भरी और इसके कोलकाता में उतरने का संभावित समय 8.27 मिनट था। *… (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें सभी पक्ष, खड़गे जी से ले कर सभी की सहानुभूति है।

…(<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

श्री अशोक गजपति राजू: कोलकाता में मुख्य रनवे के मरम्मत के कारण और आगमन तथा प्रस्थान के लिए दूसरे रनवे का उपयोग करने से ट्रैफिक अधिक था।*… (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया आप दोहराएंगे क्योंकि मैंने आपको सुना नहीं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप भी वही कहना चाहेंगे?

…(<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदया, यह ठीक नहीं है। *… (व्यवधान)* हम इस मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं। *… (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं होता है।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप भी इसमें सहमत हैं।

…(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह ठीक नहीं है। *… (व्यवधान)* आप मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। *… (व्यवधान)* श्री बंदोपाध्याय जी, यह ठीक नहीं है। *… (व्यवधान)* हम सबको बोलना चाहिए और फिर उन्हें जवाब देना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षा: यह क्या है?

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह सब क्या है?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय कोई बहुत बड़ी चर्चा का नहीं है।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): हम सबसे बड़ी पार्टी है। *… (व्यवधान)* हमारा कहना है कि*… (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: यदि आपको कोई संदेह हो तो उनके पूरा करने के बाद आप उनके पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं।

... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): महोदया, आप उन्हें एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए। *... (व्यवधान)* सबसे बड़े राजनीतिक दल को बोलने के लिए आधे मिनट का समय दिया जाना चाहिए। ... *(व्यवधान)*

श्री अशोक गजपति राजू: मैं माननीय सदन के समक्ष सिर्फ तथ्यों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। *... (व्यवधान)* जब इंडिगो फ्लाइट कोलकाता में प्रवेश की तो उतरने में उसका क्रम आठवां था।। ... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, यह क्या है? *... (व्यवधान)* यह अनुचित है। ... (व्यवधान)

श्री अशोक गजपति राजू: विमान में कम ईंधन होने के बारे में बताया गया और उस समय इसके उतरने का क्रम तीसरा था। *... (व्यवधान)* हालांकि, उसने पहले उतरने के लिए कुछ नहीं कहा जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ए.टी.सी.) ने उससे इस बारे में विशेष रूप से पूछा था। जब कभी भी ए.टी.सी. टावर और किसी विशेष उड़ान के पायलट के बीच बातचीत होती है तो दूसरी उड़ानें जो उतरने के क्रम में होती हैं उनके पायलटों को भी यह बातचीत सुनाई देती है। उतरने के क्रम में एअर इंडिया की उड़ान इंडिगो की उड़ान के पहले थी। जब ए.टी.सी. ने एअर इंडिया के पायलट को इंडिगो उड़ान में कम ईंधन होने के बारे में बताया तो एअर इंडिया के पायलट ने भी अपने विमान में कम ईंधन होने की बात की। स्पाईस जेट की एक अन्य उड़ान जो उतरने के क्रम में इंडिगो के पीछे थी उसने भी कम ईंधन होने की बात कही। ... *(व्यवधान)*

श्री एम.बी. राजेश (पलक्काड): यह बहुत गंभीर बात है। *... (व्यवधान)*

श्री अशोक गजपति राजू: तथापि, प्राप्त सूचना के अनुसार तीनों उड़ानों के किसी भी पायलट ने उन्हें पहले उतरने देने के बारे में कुछ नहीं कहा। *... (व्यवधान)* तीनों उड़ानों को उनके सामान्य उतरने के क्रम में उतरने की अनुमति दी गई। इंडिगो उड़ान को केवल 13 मिनट ही हवा में रहना पड़ा और रात्रि 8.40 मिनट पर यह विमान उतरा। यह कहना गलत है कि इस उड़ान को 30-40 मिनट तक हवा में रहना पड़ा।

डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित मानक उड़ान सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाले किसी भी विमान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए और 30 मिनट हवा में परिभ्रमण करने के लिए और उड़ान मार्ग परिवर्तन होने की स्थिति में अधिसूचित वैकल्पिक हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल हेतु पर्याप्त ईंधन होना चाहिए। ... (व्यवधान)

कोलकाता हवाई अड्डे के लिए अधिसूचित वैकल्पिक हवाई अड्डा भुवनेश्वर है। इसलिए, इंडिगो उड़ान को कोलकाता पहुंचने के लिए, हवा में 30 मिनट रहने के लिए और फिर भुवनेश्वर जाने के लिए, यदि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, पर्याप्त ईंधन लेना चाहिए था। ... *(व्यवधान)* इन परिस्थितियों में डी.जी.सी.ए. ने यह पता लगाने के लिए कैसे इन तीनों ही उड़ानों ने कम ईंधन होने की बात बताई और क्या उन्होंने डी.जी.सी.ए. द्वारा निर्धारित विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त ईंधन लिया था, की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

महोदया, मामले के ये तथ्य हैं। मैं इन तथ्यों को आपके माध्यम से इस माननीय सदन के ध्यान में लाने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर): लेकिन तब मुख्यमंत्री और अन्य यात्रियों की जान जोखिम में थी। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : हर कोई इस बात पर नहीं बोलेगा।

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : अभी इंक्वायरी के बारे में भी उन्होंने कहा है। [अनुवाद] उन्होंने कहा कि डी.जी.सी.ए. ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

[हिन्दी]

खड़गे जी, आप कौन से इश्यू पर बोलना चाहते हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, मैं इसी इश्यू पर बताना चाहता हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के सर्कम्स्टैन्सिज में जो डीमोनेटाइजेशन के बारे में ऐजिटेशन चल रहा है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः कृपया, आरोप मत लगाइए।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप हमारी बात सुनिए। *… (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : आप भी संभलकर बोलिए।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: कुमारी ममता बनर्जी जी कोलकाता से पटना, पटना से लखनऊ और कई अन्य स्थानों पर जा रही थीं। इसलिए, ऐसे में उनकी जान को खतरा है। *... (व्यवधान)* जब ए.टी.सी. को बताया गया कि वह 30 मिनट से परिभ्रमण कर रहा है और बचा हुआ ईंधन केवल सात मिनट तक चलेगा, तो ए.टी.सी. का कर्तव्य है कि जिस उड़ान में कुमारी ममता बनर्जी थीं, उसे पहले उतरने की अनुमति दें। *... (व्यवधान)* हमेशा, जब वी.वी.आई.पी. की उड़ान में पर्याप्त ईंधन नहीं होता, तो उसे पहले उतरने की अनुमति दी जाती है। जब ईंधन न हो तो ऐसा करना ए.टी.सी. का कर्त्तव्य है। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इसे हंगामा करने का इश्यू मत बनाइये।

...(<u>व्यवधान</u>)

[अनुवाद]

श्री अनन्तकुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, कुमारी ममता बनर्जी और सभी हवाई यात्रियों का जीवन और सुरक्षा चिंता का विषय है। हम इसके बारे में बहुत गंभीर हैं; हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही, माननीय नागर विमानन मंत्री, मेरे प्रिय सहयोगी, श्री अशोक गजपति राजू ने उल्लेख किया है कि नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निर्धारित की गई सुरक्षा आवश्यकताएँ क्या हैं। तीनों विमानों के किसी भी पायलटों ने उन्हें प्राथमिकता पर उतरने देने के लिए नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास ईंधन कम है, लेकिन ए.टी.सी. द्वारा

पूछे जाने पर उन्होंने पहले उतरने देने के लिए नहीं कहा। हालांकि, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रतिवेदन सदन के सामने आएगी। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: जांच की जा रही है। जांच हो जाने दीजिए। उन्होंने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.11 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः अब, प्रश्न संख्या 221 – श्री हुकुम सिंह।

(प्र. 221)

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने स्कूलों में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए और युवाओं को विकसित करने के लिए रूचि दिखाई है।...(व्यवधान) मैंने बहुत स्पष्ट रूप से प्रश्न किया था।...(व्यवधान) मेरा सवाल यह था कि क्या शिक्षण संस्थाओं में आप स्पोर्ट्स को आनिवार्य विषय के रूप में करने पर विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह मेरा बहुत ही स्पष्ट सवाल था।...(व्यवधान) मैंने पूछा था कि स्पोर्ट्स को आनिवार्य करने का आपका विचार है या नहीं है।...(व्यवधान) संयोग से इसके बारे में मंत्री जी ने अन्य बातें तो बहुत कहीं, लेकिन इस बारे में नहीं कहा कि वे स्पोर्ट्स को आनिवार्य करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से इसी बारे में पूछना चाहता हूँ।...(व्यवधान) इसी के साथ जोड़कर मैं यह भी पूछना चाहता हूँ, सभी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने पूछी थी।...(व्यवधान) क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स को आनिवार्य करेंगे और युवाओं को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विकसित करने का काम करेंगे तो यह आवश्यक है कि

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

स्कूल में आवश्यक सारी सुविधायें भी उपलब्ध होनी चाहिए।...(व्यवधान) मेरे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आ जायें।...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.13 बजे</u>

(इस समय, श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

श्री विजय गोयल : महोदया, हुकुम सिंह जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है।...(व्यवधान) बड़े स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि हमारा खेल मंत्रालय यह चाहता है कि सारे स्कूलों के अन्दर जो स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट है, खेल का जो विषय है, उसको कम्पलसरी, मैन्डेटरी किया जाये।...(व्यवधान)

अभी हमने देखा है कि स्कूलों में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक मुश्किल से खेलों का एक सब्जैक्ट दिया गया है। उससे खेलों का विकास नहीं हो सकता। ...(व्यवधान) अगर देश में खेलों को बढ़ावा देना है तो हमने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको मैंडेटरी किया जाए, किन्तु माननीय सदस्य को समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स स्टेट सब्जैक्ट है। उसमें स्टेट्स की सहमति ज़रूरी है। ...(व्यवधान) हम एचआरडी मिनिस्ट्री को मिले हैं और हमने उनको लिखा है कि स्पोर्ट्स को न केवल मैंडेटरी और कंपलसरी सब्जैक्ट बनाया जाए, बल्कि उसके जो अंक हैं, वे भी आगे जोड़े जाएँ ताकि छात्रों को उन अंकों से आगे दाखिला मिलने में सुविधा हो। ...(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि वे प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से उनका प्रयास सफल भी होगा। इसमें आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) मान्यवर, आप सहमत होंगे कि सारा टेलेंट तो गाँवों में है और जो भी मैडल मिले हैं, उनमें 80 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो गाँवों से आते हैं। आज मुझे यह कहते हुए

कष्ट होता है कि जब हम गाँवों में जाते हैं तो वहाँ लोग बराबर माँग करते हैं कि हमें खेल के मैदान दो। ...(व्यवधान) एक बार सरकार ने व्यवस्था की थी और तालाबों को खुदवाया था, पैसा दिया था। अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को खेलों के लिए विकसित करना है तो निश्चित रूप से खेल के मैदान भी होने चाहिए। खेल के मैदान कहीं नहीं हैं। ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, स्कूलों में खेल के मैदान नहीं हैं, इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गाँवों में खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं है, तो आखिर खेलों में देश विकसित कैसे हो जाएगा? ...(व्यवधान) मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप गंभीरता से विचार करें और इसको कंपलसरी करें कि प्रत्येक गाँव में खेल के मैदान का प्रोविज़न सरकार करके रहेगी। इसका स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए। अगर आप खेल के मैदान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को विकसित करने का अवसर मिलेगा।

श्री विजय गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देश भर में 13 लाख से ज्यादा स्कूल हैं और वाकई में हमारे यहाँ जो 670 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 7000 ब्लॉक्स हैं, 13 लाख स्कूल हैं, उनमें खेल के मैदानों की कमी है। इसलिए अभी हमने स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की मीटिंग की थी और उनको कहा था कि अब अपने यहाँ जो मैदान हैं, उनका अर्बन में कॉमर्शियल यूज़ न करके कम्युनिटी के लिए खेल के मैदान उसके अंदर बनाए जाएँ। इसके लिए जो नेशनल प्लेफील्ड असोसियेशन है, उसने भी एक रिपोर्ट दी थी कि हम खुद चाहते हैं कि खेल के मैदान ज्यादा से ज्यादा हों, पर उसके लिए स्पोर्ट्स का एक कल्चर डैवलप करना पड़ेगा जिसमें माँ-बाप भी बच्चे को सपोर्ट दें, स्कूल वाले भी सपोर्ट दें और स्टेट गवर्नमैंट भी सपोर्ट दे। स्टेट गवर्नमैंट ने मिलकर काम करने की अपनी सहमति जताई है और हमारे यहाँ ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वे रूरल एरियाज़ से आते हैं, वे आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो स्पेशल एरिया गेम स्कीम चलती है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी: महोदया, मैं चार बार से 1998, 2004, 2009 और अब 2014 में संसद सदस्य हूँ और यह पहली बार है कि मेरा प्रश्न पहले स्थान पर आया है। यह मसौदा पूरी तरह से मेरा प्रश्न है। वास्तव में, यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने पूछा था। इसलिए, मुझे यह दिन देने के लिए मैं आपको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसके लिए, मैं आपको अतिरिक्त प्रश्न दे सकती हूँ।

... (व्यवधान)

श्री तथागत सत्पथी: मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। ... (व्यवधान) मैं पिछले ओलंपिक के दौरान खेल से जुड़े अन्य सभी मुद्दों में नहीं पड़ रहा हूं, जब लोग शिकायत कर रहे थे कि खिलाड़ियों की तुलना में अधिक संख्या में अधिकारी विदेश गए थे। ओडिशा से गए युवा लड़के-लड़कियों को दुनिया भर में घूमने के लिए दो दिन का जेटलैग पीरियड भी नहीं मिला। ... (व्यवधान) इस खेलो इंडिया योजना में कुल मिलाकर केवल 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से आपने पूरे देश में खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मात्र 134 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। *... (व्यवधान)*

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय और भारत सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के प्रति गंभीर हैं? मैं गाँवों की बात नहीं कर रहा हूँ। *... (व्यवधान)* यह एक बहुत मुश्किल काम होगा। 7,000 पंचायतें हैं। इन सबकी देखभाल कौन करेगा? *... (व्यवधान)* क्या आप प्रत्येक राज्य में विश्व गुणवत्ता की एकल खेल सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक भी हैं? ये 134 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं होंगे। ... (व्यवधान) यदि आप इस पर गंभीर हैं, तो सदन को बताएं कि आप अगले एक वर्ष में वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं। धन्यवाद। *... (व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मिस्टर मिनिस्टर, बड़ी मुश्किल से उनका प्रश्न आया है तो अच्छे, शांति से उत्तर दीजिएगा।

…(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : मैं भी इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि बहुत दिनों के बाद खेल के ऊपर, नंबर एक के ऊपर प्रश्न आया है। ...(व्यवधान) मैं सतपथी जी से बिल्कुल सहमत हूं कि जो हमारे स्पोर्ट्स के बजट हैं, वे बहुत कम हैं। ...(व्यवधान)145 करोड़ रुपए खेलो इंडिया के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम खेलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। ...(व्यवधान) इसलिए अभी हमारे दो काम है, एक है ब्रॉड बेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स और दूसरा है एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ...(व्यवधान) वह जो एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी टॉप स्कीम के अंदर, हमने उसके अंदर सफीशिएंट बजट जरूर दिया था, किंतु इस बार हम अभी से खेलों की तैयारी में लगे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए वर्ष 2020, 2024, 2028, जो टोकियो ओलम्पिक्स, 2020 में हैं, उनकी प्रिपरेशन हम करेंगे, किंतु यह बात सही है कि सिर्फ 900 करोड़ रुपए का हमारा बजट है। ...(व्यवधान) इस बजट में पूरे देश के अंदर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते हैं। ...(व्यवधान) इसलिए अभी हम पिन प्वाइंट करके अपने रिसोर्सेज को रीकंसालिडेट करके और टैलेंट को सर्च करके, उसका नर्चर करके, उसकी ट्रेनिंग करके, अच्छे खिलाड़ी हमें मिलें, इसके लिए डिफरेंट कंपीटिशंस हों और इसके लिए अभी हमने पीएसयूज की भी मीटिंग बुलाई है, ताकि प्राइवेट सैक्टर से भी हमें ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। ...(व्यवधान) हम फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिले थे कि हमारे फंड्स को और बढ़ाया जाए। ...(व्यवधान) आप भी हमें सपोर्ट करेंगे, तो मैं समझता हूं कि सारे सदन को खेलों के ऊपर चिंता करनी चाहिए और उसके अंदर अपना सहयोग करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला: माननीय मंत्री जी ने पिछले सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 3999 का उत्तर दिया था, उसमें साफ तौर पर मंत्रालय ने माना है कि [अनुवाद] "युवा मामले और खेल मंत्रालय वर्तमान में ऐसी कोई योजना लागू नहीं कर रहा है जो राज्य सरकारों के स्कूलों को अनुदान जारी करने का प्रावधान करती हो।" *... (व्यवधान)* [हिन्दी] मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं, जहां हमारी ओलम्पिक की43 टीम के अंदर भी 21 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से जाते हैं। ...(व्यवधान) हमारे पास ऐसे-ऐसे खिलाड़ी इतिहास में भी रहे हैं, जिन्होंने हमेशा देश का नाम रोशन करने का काम किया है। ...(व्यवधान) अगर हम सरकारी स्कूलों को जो प्रदेश सरकार फंडेड हैं, उनको आपके मंत्रालय द्वारा कोई ग्रांट नहीं दे पाएंगे, तो हम किस तरह का भविष्य हमारे खिलाड़ियों का देख रहे हैं? ...(व्यवधान)

आपने अभी कहा कि हम पीएसयूज को ला रहे हैं, हम प्राइवेट लोगों को ला रहे हैं, मगर उनके फंड्स द्वारा हम ग्राम पंचायत के जो स्कूल्स हैं, उनको डेवलप नहीं कर पाएंगे। ...(व्यवधान) आपने पिछले सैशन में अनुराग ठाकुर द्वारा जी दिए गए एक प्रश्न के आंसर में कहा कि 26 में से केवल मात्र 13 प्रदेशों के अंदर केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर पीवाईकेकेए के अंडर आपने पैसा दिया। हरियाणा को मात्र 3.34 करोड़ रुपए दिए गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में स्पोर्ट्स के लिए जो स्टेट ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, क्या आपका मंत्रालय वहां स्कूल लेवल पर भी और ग्रांट देने का काम करेगा?

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदया, हम सीधे तो स्कूलों को कोई ग्रांट नहीं देते, पर जो स्कूल, गेम्स फेडरेशन टूर्नामेंट्स करती है, उसके लिए हम ग्रांट्स देते हैं। हम फैडरेशन्स को कम्पीटिशन्स करने के लिए ग्रांट देते हैं।...(व्यवधान) लेकिन अगर गवर्नमैंट स्कूल्स के अंदर किसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसके लिए भी मदद करते

हैं।...(व्यवधान) इसके साथ-साथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कुछ स्कूलों को ऐडॉप्ट भी करती है जहां स्पोर्ट्स के स्ट्रक्चर्स हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया इस तरह का व्यवहार मत कीजिए।

[हिन्दी] …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : स्पोर्ट्स पर प्रश्न है। [अनुवाद] मैं इसे पूरा करूंगी।

[हिन्दी] …(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत: अध्यक्ष महोदया, मेरा छोटा सा प्रश्न है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप खेलती भी हैं?

…(व्यवधान)

श्रीमती संतोष अहलावत: मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं और आपके माध्यम से मंत्री जी से सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। ...(व्यवधान) जिस प्रकार भूमि की जोत घट रही है, जिस प्रकार खेल के मैदानों में आतिक्रमण हो रहा है, तो 'खेलो इंडिया' के तहत क्या आपकी ऐसी कोई योजना है जिसके माध्यम से जिला हैडक्वार्टर पर एक सुविधायुक्त स्टेडियम का निर्माण कर दें ताकि गांव के बच्चे भी वहां आ सकें?...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : महोदया, अभी यह हर जिले में संभव नहीं है कि हम स्टेडियम्स का निर्माण कर दें, किन्तु जहां हम देखिएगे कि वहां आवश्यकता है और वहां के माननीय सदस्य, राज्य सरकार या कोई और बॉडी हमें ऐप्रोच करती है तो हम जाहिर तौर पर उसकी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट देखने के बाद उसे 'खेलो इंडिया' के अंतर्गत सैंक्शन कर सकते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अनुराग ठाकुर। क्रिकेट तो बहुत चलता है।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: महोदया, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि केवल क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जिसने देश या प्रदेश सरकार पर कभी बोझ नहीं डाला। ...(व्यवधान) क्रिकेट ऐसोसिएशन्स ने सारे स्टेडियम्स अपने आप बनाए हैं और दुनियाभर में कई बार विश्व कप जीता है।...(व्यवधान) मेरे प्रश्न के दो भाग हैं। मैच फिक्सिंग और बैटिंग एक बड़ी समस्या है। ...(व्यवधान) सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग दो अलग-अलग समस्याएं हैं। ...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए क्या यह सरकार कड़ा कानून बनाने के लिए तैयार है? ...(व्यवधान) कोई खिलाड़ी देश को बदनाम करना चाहे या ऐसा होता है कि वह खराब खेलता है जिसके कारण खेल पर प्रभाव पड़ता है।...(व्यवधान) क्या खेल मंत्रालय ऐसा कोई कानून लाने के लिए तैयार है?...(व्यवधान)

दूसरा, सट्टेबाजी जिसके लिए केवल दस दिन की कैद होती है, क्या खेल मंत्रालय सट्टेबाजी को लीगल करने के लिए कोई कदम उठा रहा है?...(व्यवधान) क्या कभी ऐसा होने वाला है जिसके कारण कई देशों में उसके माध्यम से हजारों-करोड़ों रुपये इकट्ठे होते हैं और सरकार के पास आने के बाद उन्हें विकास पर लगाया जाता है? ...(व्यवधान) खेल मंत्रालय मैच फिक्सिंग और बैटिंग, इन दो विषयों पर क्या कदम उठा रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा?...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : महोदया, अनुराग जी ने कहा कि क्रिकेट हमसे कभी मदद नहीं मांगता। ...(व्यवधान) मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आपके पास बहुत फंड भी है तो अगर आप पूरे देश में बड़े-बड़े स्टेडियम्स की जगह छोटे-छोटे स्टेडियम्स क्रिकेट के लिए बनाएं तो उससे खेलों को बहुत फायदा होगा और हम भी उन्हें किसी और चीज के लिए यूज़ कर पाएंगे।...(व्यवधान)

दूसरा, जहां तक मैच फिक्सिंग या बैटिंग की बात है, यह केवल खेलों में ही नहीं है बल्कि बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में भी है। ...(व्यवधान) हम इस पर विचार करेंगे, किन्तु इस बारे में

देखना चाहिए कि हर प्रकार की बैटिंग, गैम्बलिंग पर जब सरकार रोक लगाएगी तो मैं समझता हूं कि उसमें खेल भी आ जाएंगे।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूं और किसान भी हूं।...(व्यवधान) मंत्री जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसे विस्तार से सुन रहा था।...(व्यवधान) मुझे आज भी भरोसा है कि दुनिया का कोई सांसद मुझसे कुश्ती में नहीं जीत सकता।...(व्यवधान) अगर आप इजाजत दे दें, जो लोग हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहे हैं, मैं उन्हें कुश्ती लड़ना सिखा देता।...(व्यवधान)

मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ग्रामीण खेलों की मान्यता ओलम्पिक में है जिससे स्वर्ण पदक, रजत पदक और कास्य पदक मिलते हैं।...(व्यवधान) उसकी बड़ी चर्चा होती है, यह छोटा विषय नहीं है। गांव में रहने वाले कुछ विशेष तरह की जातियां हैं जिनका यह खेल पुश्तैनी होता है, जैसे मछुआरा तैराकी जानता है ...(व्यवधान) आदिवासी तीरंदाजी जानता है, किसान घुड़सवारी जानता है, कुश्ती भी गांव में रहने वाली कुछ विशेष जातियां जानते हैं। ...(व्यवधान) गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का इसमें चयन किया जा सकता है और उनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप एक योजना बनाएं। क्या पूरी दुनिया का एक अंतर-संसदीय कुश्ती का आयोजन करा दीजिए ताकि इन लोगों को भी पता चल जाए क्यों हल्ला करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदया, यह कुश्ती अलग तरह की है। मैं खेलों की कुश्ती की बात कर रहा हूँ। खेल मंत्रालय इंडीजिनस खेलों को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न कर रहे हैं। ...(व्यवधान) अभी कबड्डी का लीग हुआ तो कबड्डी बहुत प्रसिद्ध हो गई है। हमारे यहां टैलेंट को स्काऊट करने के लिए स्कीम्स हैं, उसमें आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी स्कीम है। हम गांवों में जाकर टैलेंट को अलग-अलग खेलों के लिए सर्च करते हैं और फिर उनको ट्रेनिंग देते

हैं इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू करने जा रहे हैं, वह ऑन प्रोसेस है जिसका नाम होगा, स्पोर्ट्स टैलेंस सर्च पोर्टल ...(व्यवधान) जिसमें कोई भी हिन्दुस्तान का खिलाड़ी जो आठ साल का हो, अगर वह अपना बॉयोडाटा या वीडियो अपलोड कर देगा तो हम उसकी प्रतिभा जांच करके अपने साईं सेंटर के अंदर ट्रेनिंग देंगे या स्कॉलरशिप देंगे। टैलेंट सर्च डिस्ट्रीक्ट स्टेट कम्पीटिशन के जरिए करते हैं, ...(व्यवधान) दूसरे, कुछ खेल ऐसे हैं। कुछ क्षेत्र जो विशेष क्षेत्रों में खेले जाते हैं उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, मल्लखम्भ, कबड्डी, खो-खो जैसे खेलों के अलावा भी छोटे खेलों को भी हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे राज्य में साई का सेंटर 108 एकड़ में है उसका इन्क्रोचमेंट भी हो रहा था जिसे हमने रुकवाया है। साई में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। ...(व्यवधान) पटियाला के बाद ही औरंगाबाद साई का केन्द्र दूसरे नंबर पर है। क्या आप उस केन्द्र को उप-केन्द्र बनाएंगे क्योंकि 108 एकड़ जमीन कहीं मिलने वाली नहीं है, सारे गेम्स वहां होते हैं, आगे हम लोग वहां क्रिकेट भी शामिल करने वाले हैं, क्या उसे आप मान्यता देंगे? ...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदया, यह राज्य सरकार का सेंटर है या हमारा सेंटर है? हमारे लिए किसी भी सेंटर को मान्यता देना या बड़ा केन्द्र बनाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसके मेन्टेनेंस के लिए जो खर्चा होता है वह भारी काम होता है। ...(व्यवधान) हमारे जितने भी सेंटर्स हैं अगर वह बड़े हैं उसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे ताकि उसका पूरा लाभ हो और उसमें हमको कोई प्राइवेट पार्टनर्स भी मिलते हैं तो उसको भी इन्करेज करेंगे। ...(व्यवधान) आप हमें स्कीम भेजिए हम उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखिएगे। हमारा एक बहुत अच्छा केन्द्र औरंगाबाद में है शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। 108 एकड़ में और क्या-क्या किया जा सकता है उसे हम देखिएगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 222. श्री सुमन बलका: - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

अब, माननीय मंत्री जी

(प्र. 222)

श्री सुधीर गुप्ता: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायती राज व्यवस्था में जीवनस्तर सुधारने के लिए दो लाख करोड़ रुपए की निधि पांच वर्षों के लिए निधाररित की है। पंचायत स्तर पर भारत सरकार जो कार्य कर रही है, उसके लिए 'दिशा' समिति बनाई है। ...(व्यवधान) इस समिति को गुणवत्ता की देखरेख और कार्यों के निर्धारण के लिए आधिकार दिए गए हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए नीचे के स्तर पर कार्य लागू किए जा सकते हैं?...(व्यवधान)

श्री परषोत्तम रूपाला :माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दिशा के निर्देश के बारे में पूछा है। यह ग्रामीण मंत्रालय से जुड़ी हुई बात है। पंचायतों में बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने हेतु जो सवाल पूछे गए हैं, यदि उनके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो मैं अवश्य देना चाहूंगा। ...(व्यवधान) 'दिशा' समिति बनाई गई है जो सांसद के नेतृत्व में काम कर रही है, उसे गुणवत्ता के संबंध में जांच करने और उस पर कार्रवाई करवाने का भी आधिकार है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे सहयोगी द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी और उपग्रह कनेक्टिविटी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। ... (व्यवधान) जैसा कि आप जानते होंगे, गांधी जी ने कहा था कि *ग्राम स्वराज* वास्तविक *स्वराज है।* आज ई-गवर्नेंस, ई-वॉलेट या ई-पारदर्शिता के लिए, बुनियादी आवश्यकता इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो उपग्रह या फाइबर केबल के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। .. (व्यवधान) विमुद्रीकरण के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की तत्काल आवश्यकता है... (व्यवधान) क्या सरकार इसे मिशन मोड पर लेने का प्रस्ताव कर

रही है ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सैटेलाइट या फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा सके... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि हम ग्राम पंचायत लैवल पर उपग्रह संचार और नैट के उपयोग से गांव में जानकारी लेने, पंचायत के कार्य को पारदर्शी बनाने और कॉम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं। अभी इंटरनेट की सुविधा हर गांव में मुहैया नहीं की गई है। ...(व्यवधान) ढाई लाख पंचायतें हैं, हमारी सरकार ने भारत नैट के कार्यक्रम से सभी गांव पंचायतों को नैट से जोड़ने का बहुत बड़ा उपक्रम लिया है। अभी तक एक लाख से ज्यादा पंचायतों में यह लागू हो गया है।...(व्यवधान) हम वर्ष 2017 तक बहुत आगे बढ़ सकेंगे। जब नैट से गांव जुड़ जाएंगे, ब्रॉडबैंड से गांव जुड़ जाएंगे, उसके बाद सारे काम बहुत अच्छी तरह से हो पाएंगे। ...(व्यवधान)

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि गुजरात ऐसा राज्य है, जहां हर गांव में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। गुजरात सरकार ने अपने पैसे से यह काम किया है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट है। 14$^{वें}$ वित्त आयोग ने 2 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की है। इस देश में कुछ हज़ार पंचायतें हैं। (व्यवधान) यहां तक कि मैंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत, अर्थात् सरना ग्राम पंचायत को भी गोद लिया है ... (व्यवधान) यह स्थान घने जंगल के भीतर स्थित है। यहां कोई सड़क संपर्क नहीं है... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने सड़कों के सुधार की बात कही है। लेकिन इस ग्राम पंचायत में कोई सड़क संपर्क नहीं है ... (व्यवधान) इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का उस क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु क्या

कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। यहां माननीय मंत्री जी ने सिर्फ सड़कों के सुधार के बारे में ही उल्लेख किया है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष महोदया, मूल प्रश्न के जवाब में इम्प्रूवमैंट ऑफ दी रोड के बारे में बताया गया है कि 14वें फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत जो राशि ग्राम पंचायतों को मुहैया करायी जाती है, उस राशि का उपयोग ग्राम पंचायतें किस-किस हेतु कर सकती हैं। ...(व्यवधान) उसमें पानी, बिजली, गांव के रास्ते और इंटरनल रोड ऑफ दी विलेज को इम्प्रूव करने के लिए इस राशि का उपयोग हो सकता है। ...(व्यवधान) दी कनेक्टिविटी ऑफ दी रोड, मार्ग एंड मकान विभाग और रोड एंड बिल्डिंग विभाग के अंतर्गत होता है। ...(व्यवधान) 14वें फाइनेंस कमीशन के आधार पर जो राशि दी जाती है, उससे नये रोड न बनाकर गांव के रास्तों को इम्प्रूव करना और गांव के आंतरिक रास्तों को सुविधा देने की बात है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती कोथापल्ली गीता: महोदया, यह ग्रामीण विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ-साथ कई अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क की समस्या गंभीर है।*... (व्यवधान)* हम राष्ट्रीय मीडिया में उन लोगों की तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें गांवों में लोग बच्चों को गोद में लेकर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जा रहे हैं। *... (व्यवधान)*

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं। सरकार ने पी.एम.जे.एस.वाई. नामक एक सुंदर योजना की मंजूरी दी है जिसमें 250 लोगों की आबादी वाले सभी गांवों को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। ... (व्यवधान) लेकिन 2013 में स्वीकृत

पी.एम.जे.एस.वाई. कार्यों को विभिन्न कारणों से आज तक लागू नहीं किया गया है। ... *(व्यवधान)* इन सड़कों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। क्या सरकार ग्रामीण भारत को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नई दरों को मंजूरी देकर वर्षों से लंबित सड़कों को पूरा करने की नीति का प्रस्ताव कर रही है? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री परषोत्तम रूपाला : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सांसद की इस चिंता से सहमत हूं कि रोड कनेक्टिविटी उनके इलाके में नहीं है। ...(व्यवधान) जो रोड सैंक्शन के काम हुए हैं, उसमें भी उन्हें कुछ कहना है। ...(व्यवधान) लेकिन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे मंत्रालय से जुड़ी हुई नहीं है। ...(व्यवधान) यह दूसरे मंत्रालय का इश्यू है। ...(व्यवधान) अगर आप इसकी जानकारी चाहती हैं, तो उस मंत्रालय से अलग से प्रश्न कर सकती हैं। ...(व्यवधान) अगर आप पंचायत विभाग और पंचायतों के काम के बारे में कुछ जानकारी चाहती हैं, तो मैं उसे दे सकता हूं। ...(व्यवधान)

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 240

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760)

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>पूर्वाह्न 11.43 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुई*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर सर्वश्री जय प्रकाश नारायण यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, के.सी. वेणुगोपाल, सुदीप बन्दोपाध्याय, जीतेन्द्र चौधरी, राजेश रंजन, श्रीमती पी.के. श्रीमती टीचर, डॉ. ए. संपत, प्रो. सौगत राय, श्री एम.बी. राजेश, डॉ. पी. वेणुगोपाल, सर्वश्री एन.के. प्रेमचंद्रन, मोहम्मद सलीम, पी. करुणाकरन, मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, पी.के. बीजू, कोडिकुन्नील सुरेश और जोस के. मणि से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मिले हैं।

हालाँकि ये मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन आज के कार्य को बाधित करने की जरूरत नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है। इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार किया जाएगा।

… (व्यवधान)

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी): मैं, राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3016 (अ), जो 21 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अधिकृत सदस्यों का 29 सितम्बर, 2016 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 5560/16/16]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बूदूर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बूदूर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। … (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5561/16/16]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल.टी. 5562/16/16]

(2) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गईं, देखिए संख्या एल.टी. 5563/16/16]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के, वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कांडला पोर्ट ट्रस्ट, कांडला के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5564/16/16]

(2) (एक) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के, वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलौर के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5565/16/16]

(3) (एक) वी.ओ. चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षिक लेखे।

(दो) वी.ओ. चिदम्बरानार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन, के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5566/16/16]

(4) (एक) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के, वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के, वर्ष 2015-2016 के, वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा के, वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5567/16/16]

(5) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप की वर्ष 2015-2016 की वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5568/16/16]

(6) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के, वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5569/16/16]

(7) ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5570/16/16]

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रतिः -

(एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतीवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5571/16/16]

(9) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2016, जो 17 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5572/16/16]

(10) राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के नियंत्रण की धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3165 (अ), जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, पूर्व अपर जिला न्यायधीश, कोटा, राजस्थान को दिनांक 6.9.2016 के पूर्वाह्न से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

(दो) का.आ. 3166 (अ), जो 7 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री उमेश कुमार शर्मा, पीठासीन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग न्यायाधिकरण, मुंबई को दिनांक 6.9.2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक चंडीगढ़, कोलकाता, जबलपुर, बंगलौर, चेन्नई और गुवाहाटी स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कार्य का भी निर्वहन करने हेतु नियुक्त किया गया है।

(तीन) का.आ. 3333 (अ), जो 27 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 मई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 1912 (अ) का अधिक्रमण किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5573/16/16]

(11) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि न्यास), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि न्यास), मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। … (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5574/16/16]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वैपकोस लिमिटेड तथा जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5575/16/16]

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2016-2017 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5576/16/16]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रतिः -

(एक) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वैपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5577/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित पत्रों (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) में से प्रत्येक की एक प्रतिः -

(एक) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5578/16/16]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5579/16/16]

वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी): श्री अजय टम्टा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) इंडियन सिल्क एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्स्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5580/16/16]

(2) (एक) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथैटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या. एल.टी. 5581/16/16]

(3) (एक) मैन-मेड टेक्स्टाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्स्टाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ... (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5582/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. अहलुवालिया): श्री अरुण जेटली की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. 36/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 99.5. और अधिक शुद्धता वाले

ब्रांडेड गोल्ड कॉयन (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनिम, 1985 की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत आने वाले) पर उत्पाद शुल्क, आगत वस्तुओं अथवा आगत सेवाओं अथवा पूंजीगत वस्तुओं का कोई क्रेडिट नहीं लिए जाने की शर्त के अध्यधीन शून्य किए जाने के लिए 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. 59/2016-सीमा शुल्क जो 1 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अन्तर्गत आने वाले गोल्ड कॉयन (ब्रांडेड अथवा गैर ब्रांडेड) जिनमें सोने का अवयव 99.5 प्रतिशत से कम नहीं हो और गोल्ड फाइंडिंग्स, दोनों पर सी.वी.डी. की छूट को वापस लिये जाने के लिए 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सीमाशुल्क में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 5583/16/16]

01.12.2016

अपराह्न 12.05 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

16वां और 17वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय से संबंधित संसद के विभिन्न आधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 16वां प्रतिवेदन।

(2) छठे प्रतिवेदन (2015-2016) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर समिति द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

01.12.2016

अपराह्न 12.05 ½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

18वां, 27वां और 30वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में 8वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के 'मेगा फूड पार्क्स' विषय पर 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

286वां से 291वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 278वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 286वां प्रतिवेदन।

(2) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 279वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतरिक्ष विभाग द्वारा कीी-गई-कार्यवाही के बारे में 287वां प्रतिवेदन।

(3) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंघान विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 288वां प्रतिवेदन।

(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 289वां प्रतिवेदन।

(5) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे मं समिति के 282वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 290वां प्रतिवेदन।

(6) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में समिति के 284वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 291वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.06 ½ बजे</u>

औद्योगिकी विकास के बारे में दिनांक 28 नवंबर 2016 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): महोदया, मैं श्री ओम प्रकाश यादव और कर्नल सोनाराम चौधरी, संसद सदस्यों द्वारा 'औद्योगिकी विकास' के बारे में 28 नवम्बर, 2016 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

महोदया, क्या आप चाहती हैं कि मैं वक्तव्य पढ़ूं?

माननीय अध्यक्ष: नहीं, आप इसे सभा पटल पर रख सकती हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदया, मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ।

सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य के भाग (घ) में वर्ष 2016-17 से संबंधित जी.डी.पी. विकास दर से संबंधित तथ्यात्मक गलती थी, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

(घ) सरकार औद्योगिक उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। इनमें, अन्य बातों के अलावा, 'मेक इन इंडिया' पहल शामिल है जिसके तहत भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, दे खए सं. एलटी 5584/16/16

पहचान की गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का उदारीकरण और इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का विकास अन्य महत्वपूर्ण उपाय हैं। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.), विशाखापत्तनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (वी.सी.आई.सी.), चेन्नई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बेंगलुरु-मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के शुरुआती चरण में हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि के बावजूद, भारत ने 2014-15 में 7.2% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बनाए रखी है, 2015-16 में 7.6% और 2016-17 के अप्रैल से जून के दौरान 7.1% की वृद्धि दर बनाए रखी है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्य काल'

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन... जारी</u>

(दो) 500 और 1000 रुपये के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के प्रभाव के बारे में

[हिन्दी]

…(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, बैठिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष जी, हमारी कोशिश यह रही है कि सदन में नियम 56 के तहत डिसकशन करने के लिए हम बार-बार कोशिश कर रहे हैं। आपको भी इस पर सहमति देनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा …[3] * है, बहुत बड़ा स्कैम है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: ... * गलत शब्द है।

*… (व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष: शब्द ... *

… (व्यवधान)

[3]* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए हम जनता को बताना चाहते हैं। जो जनता की मुश्किलें हैं, आज लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, वहीं पर मर रहे हैं। ...(व्यवधान) हम उनकी आवाज इस सदन में उठाना चाहते हैं और उनकी मुश्किलों को आपके समक्ष रखना चाहते हैं। सरकार इस बात से भागना चाहती है। हम लोगों की मुश्किलातों को सदन के सामने रखना चाहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: लेकिन सरकार इससे भागना चाहती है। आज आम जनता, आम आदमी, खासकर संगठित लेबरर्स, सरकारी कर्मचारी और सारे कांट्रैक्ट वर्कर्स, सारी लेबर क्लॉस, सभी को बहुत मुश्किलें हो रही हैं। उनको उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और जिन लोगों का अपनी मेहनत का पैसा, जो आज बैंक में है, उन लोगों को अपना पैसा निकालने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपके नोटिस को अस्वीकार कर दिया है। आप इसे बार-बार क्यों उठाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं चर्चा के लिए तैयार हूं.. अभी, आप चर्चा शुरू करें।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उनका कत्ल किश्तों में हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, रोज हो रहा है।...(व्यवधान) हरेक दिन एक-एक नया फरमान जारी हो रहा है। पूरा देश हैरान है। जनता परेशान है और ये मस्त हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को डिसकशन के लिए एलाऊ कीजिए। हम आपके सामने सारी बातें रखेंगे और हम आपको कह रहे हैं कि आप किसी भी रूल में इसे लीजिए, लेकिन इस पर डिबेट हो और उसके ऊपर वोटिंग हो। हम यह चाहते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जयप्रकाश जी, बोलिए, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जब सब डिसकशन के लिए रेडी हैं, फिर भी रोज वही-वही बात हो रही है। रूल्स में आप लोग उलझते हैं।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : माननीय अध्यक्ष जी, आज भी इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमेशा विपक्ष की यही मांग है कि नियम 56 के अधीन तुरंत इस पर बहस शुरु होनी चाहिए। मत विभाजन होना चाहिए।...(व्यवधान) हम मत विभाजन से नहीं भाग रहे हैं। नोटबंदी से गरीबों की मौत हो रही है। गरीबों की तबाही और बर्बादी हो रही है। गरीबों के अच्छे दिन नहीं आए हैं। आज वेतन के पैसे के लिए लाले पड़ रहे हैं। गरीबों की श्वांसबंदी हो रही है। 80 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं।...(व्यवधान) जैसे लगता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है।...(व्यवधान) आपका विनाश होने वाला है। ...(व्यवधान) आपका सत्यानाश होने वाला है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, किसी भी सरकार का कोई कदम, चाहे वह कितना भी उद्देश्यपूर्ण क्यों न हो, लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।

केवल युद्धों और आपदाओं में ही मानवीय कष्ट अपरिहार्य होते हैं। ऐसी दुर्घटनाएँ अप्रत्याशित होती हैं। परन्तु काले धन के विरुद्ध युद्ध के नाम पर की गई केन्द्र सरकार की फैसलाकुन कार्रवाई से मानवीय पीड़ा हुई है। विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद, हमारे दल की ओर से, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। इसलिए, हम इस माननीय सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। इसे किस नियम के तहत उठाया जाए, इसका निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ा गया है।

माननीय अध्यक्षः मैंने सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सब रूल्स किनारे रख कर, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी मिल कर क्यों नहीं मान रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदया, काला धन रखने वाले बहुत खुश हैं। वे अप्रभावित हैं। एक अनुपात तय किया गया है, 'आप अपना काला धन जमा करें, 50 प्रतिशत आपका और 50 प्रतिशत हमारा।' यही हो रहा है। हम वास्तव में चाहते हैं कि काला धन रखने वालों को उचित दंड दिया जाए और काला धन रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन हो क्या रहा है, आम लोगों को बहुत समस्या हो रही है और इसलिए उन्हें राहत देनी होगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि नियम 56 और नियम 193 के अलावा यदि आपके अधीन कोई नियम है तो आप सरकार को इस पर सहमत होने के लिए मनाने का प्रयास करें। हम केवल मतदान के साथ चर्चा चाहते हैं। नियम 56 और नियम 193 के अलावा, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प भी है। हम कहीं से भी चर्चा शुरू कर सकते हैं।

समय बीत रहा है। आइए कहीं से शुरुआत करें ताकि इस ज्वलंत मुद्दे पर सर्वोच्च प्राथमिकता से बहस हो सके। *... (व्यवधान)*

महोदया, इसके अलावा एक और मुद्दा है। श्री राहुल गांधी का मोबाइल हैक हो गया। इस पर भी प्राथमिकता के साथ चर्चा की जानी चाहिए। यदि नेताओं के टेलीफोन हैक कर लिए जाते हैं और उनका गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो सरकार को स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): माननीय अध्यक्ष महोदया, सभी विपक्षी राजनीतिक दल नियम 56 के अंतर्गत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही, सरकार नियम 193 के तहत चर्चा पर जोर दे रही है। अध्यक्षपीठ के पास निर्णय लेने की शक्ति है और *मीडिया के माध्यम से* भी निर्णय लेने की शक्ति है। अध्यक्षपीठ इसे किसी अन्य धारा के अधीन ले सकती हैं क्योंकि अब 16 दिन बीत चुके हैं। इसलिए, हम मांग करते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। हम काले धन के पक्ष में नहीं हैं। हमें काला धन रखने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चर्चा शुरू की जाए। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: सरकार तैयार है। सभी तैयार हैं। मैं तैयार हूं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सब रूल्स को अलग रख कर, कल मैंने एक प्रस्ताव दिया था।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : कल खड़गे जी ने कहा था।

...(<u>व्यवधान</u>)

अपराह्न 12.14 बजे

(इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी रूल विद्ड्रा कर सकती हूं। मैंने अपने अधिकार में कहा था कि [अनुवाद] कोई नियम नहीं होगा और आप चर्चा शुरू करें। आप इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): माननीय अध्यक्ष महोदया, पहले दिन जब सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, तो सभी ने एक स्वर में कहा कि काले धन पर अंकुश लगाने की प्रधानमंत्री की मंशा स्वागत योग्य है। आज भी देश का प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है; केवल निष्पादन से लोगों को कुछ परेशानियां हो रही हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि सत्ताधारी दल और विपक्षी दल किसी समझौते पर नहीं आ रहे हैं, तो भर्तृहरि महताब जैसे कुछ अन्य दल के नेताओं को बुलाना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और एक नियम सामने लाना चाहिए जो 56 नहीं है, जो 184 नहीं है और जो 193 नहीं है और बिना किसी नियम के आप चर्चा शुरू कर सकते हैं क्योंकि कई अन्य दल इस पर कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि इसे कैसे निष्पादित किया जाए ताकि देश के लोगों को परेशानी न हो। हम चाहते हैं कि एक उचित परिवर्तन हो। हमारे राज्य में, हम पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने पहले ही तेलंगाना राज्य को कैशलेस राज्य बनाने की शुरुआत कर दी है। इसलिए, ऐसे में हर राज्य को आगे आकर ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): जी हाँ महोदया। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद परंपराओं, नियमों और विनियमों पर चलती है; संसद किसी की मनमर्जी और मौज से नहीं चलती... (व्यवधान)

महोदया, संसद परंपराओं, नियमों और विनियमों पर चलती है; और इस तरह हमारी संसदीय प्रणाली स्वयं विकसित हुई है*… (व्यवधान)*

महोदया, आपने कल कहा था कि 'शून्य से ब्रह्मांड तक हम जा सकते हैं।' इससे सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने का बहुत व्यापक अवसर मिलता है... (व्यवधान) पूरा देश असमंजस में है। यही कारण है कि सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करने, लोगों की चिंता को दूर करने और उन समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए उत्तेजित होते हैं, जिनका लोग प्रतिदिन सामना कर रहे हैं... (व्यवधान)

यही कारण है, महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह पहल करे और संबंधित राजनीतिक दलों से बात करे ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें और इस विषय पर चर्चा शुरू कर सकें, जिसे लेकर हम सभी उत्तेजित हैं।... (व्यवधान)

सरकार विमुद्रीकरण के साथ एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आई है। किसी भी दल से जुड़े होने के बावजूद भी कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है। लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जांच के लिए एक मुख्यमंत्री समिति पहले ही गठित की जा चुकी है... (व्यवधान) इसलिए, इस संबंध में, मैं पुनः एक अनुरोध करूंगा। विमुद्रीकरण की घोषणा का आज 22$^{वां}$ दिन है और तीन सप्ताह पहले ही बीत चुके हैं। इसीलिए, महोदया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने काम को और अधिक सुविधाजनक बनाएं। सरकार को

संबंधित नेताओं से अनुरोध करने दीजिए ताकि हम इस चर्चा को जल्द से जल्द शुरू कर सकें और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। धन्यवाद... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री अनन्तकुमार जी, उनसे अनुरोध करें।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष महोदया, आपने कल कहा था कि 'शून्य से ब्रह्मांड तक' हम चर्चा कर सकते हैं।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सभी पार्टियों को, खास कर कांग्रेस पार्टी को निवेदन करना चाहता हूं कि हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं।...(व्यवधान) आपने कहा था 'शून्य से ब्रह्मांड तक' लेकिन कांग्रेस पार्टी 'शून्य से शून्य तक' जाने के लिए तैयार बैठी है और ब्रह्मांड तक चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। जैसा आपने कहा कि जीरो ऑवर के शुरू में चर्चा कर सकते हैं। उसके लिए सरकार तैयार है।...(व्यवधान) जैसा भृर्तहरि जी ने कहा कि 8 नवम्बर के बाद 22 दिन हो गए हैं और सदन शुरू हुए भी काफी दिन हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चर्चा नहीं चाहती है।...(व्यवधान) मैं एक बार फिर कांग्रेस पार्टी तथा दूसरी पार्टियों से निवेदन करूंगा कि ब्लैक मनी के खिलाफ संघर्ष को रोकने का दुस्साहस मत कीजिए, क्योंकि पूरा देश काले धन के खिलाफ लड़ाई में श्री नरेन्द्र मोदी के साथ है।...(व्यवधान)

महोदया, मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा कि जैसा आपने सुझाव दिया है कि आपने प्रश्न काल सस्पेंड करके जीरो ऑवर से चर्चा शुरू करने के लिए सोचा है, भारत सरकार भी चर्चा करने के लिए तैयार है। ...(व्यवधान) आप अभी से चर्चा शुरू करवाइए, हम चर्चा करने

के लिए तैयार हैं। हम पहले दिन से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे 'शून्य से शून्य तक' जाने के लिए बैठे हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सरकार तैयार है और आइए चर्चा शुरू करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या हमें अभी चर्चा शुरू करनी चाहिए?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप सभी तैयार हैं, तो हम इसे अभी शुरू कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यदि मतदान होता है, तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मतदान क्यों? कौन-सा मतदान?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: तो, आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं!

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं। क्या आप इसे शुरू करने के लिए तैयार हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम चर्चा शुरू करते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या हमें अभी चर्चा शुरू करनी चाहिए?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप सभी तैयार हैं, तो हम अभी चर्चा शुरू कर सकते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: हाँ, लेकिन यह मतदान के साथ होना चाहिए। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आप मतदान क्यों चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसका मतलब है, आप कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप अभी चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं? कोई रूल नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: महोदया, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। *... (व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। सभी तैयार हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: हम इसे नियम 193 में बदल सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप यह चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वे तैयार नहीं हैं।

... (व्यवधान)

श्री अनन्तकुमार: सभा का तीन-चौथाई हिस्सा चर्चा के लिए तैयार है।*... (व्यवधान)* केवल कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। *... (व्यवधान)* शेष अन्य दल चर्चा के लिए तैयार हैं। *... (व्यवधान)* आप एक रूलिंग दीजिए और डिबेट कराइये। ...(व्यवधान) हम चर्चा करना चाहते हैं। ... (व्यवधान) हमें इस पर चर्चा चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। प्रथा के अनुसार सदस्य व्यक्तिगत रूप से विषय का पाठ सौंप सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

(एक) सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : मैं जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट द्वारा एस.वाई.एल. नहर निर्माण के मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में दिए गए फैसले की ओर दिलाना चाहता हूँ। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2004 में पंजाब सरकार ने सभी जल समझौते असंवैधानिक तरीके से रद्द कर दिए थे, जिसके विरोध में हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। 10 नवम्बर, 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की वर्ष 2004 की कार्यवाही को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द कर दिया है, परंतु अब फिर पंजाब सरकार ने 16-11-2016 को पंजाब विधान सभा का सत्र बुलाकर एस.वाई.एल. निर्माण के लिए आधिकृत की गई भूमि को डिनोटिफाई कर दिया है। संवैधानिक दृष्टि से पंजाब के इस प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। हमने पंजाब के राज्यपाल महोदय को मिलकर किसी भी असंवैधानिक कार्यवाही को निरस्त करने की गुहार लगाई है। हरियाणा ने राष्ट्रपति महोदय से भी इस मुद्दे पर दखल की मांग की है। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दक्षिणी हरियाणा की प्यास बुझाने के लिए

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

एस.वाई.एल. नहर निर्माण का संकल्प लिया हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह पानी प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके से इस दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके एस.वाई.एल. नहर का तुरंत निर्माण करवाये ताकि हरियाणा की धरती की प्यास बुझाई जा सके।

(दो) बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंडक नदी से गाद निकालने की आवश्यकता

श्री जनक राम (गोपालगंज) : मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज (बिहार) में आहिरौली दोन से गोपालगंज बेतिया महासेतु तक बांध, जो आभिप्रक्रिया में है, अगर इस बांध का निर्माण समय से पहले नहीं होता है तो लगभग 30 से 40 गांव बाढ़ की भयावह स्थिति का सामना करेंगे तथा 150000 लाख से आधिक लोग प्रभावित होंगे। मैं माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों से मेरे गोपालगंज जिले में बाढ़ एवं कटाव से लगभग 15 से 20 हजार घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बाढ़ एवं कटाव से लोगों के पास रहने के लिए जमीनें नहीं बची हैं। किसी तरह पलायन कर नहर की पटरी पर गुजर-बसर कर रहे हैं।

किसानों के लिए नदी का मैदानी भाग काफी उपजाऊ होता है। मैदानी भाग में किसान गन्ने लगाते हैं एवं अनेक फसल को उपजाते हैं, उसका बाढ़ और कटाव से भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। इस प्रकार की भरपाई के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। कृषि योग्य भूमि का बड़े क्षेत्र में लाखों का नुकसान होता है। खाने-पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, गंडक नदी लाखों एकड़ में जमीन निगल गई है तथा प्रत्येक वर्ष भयंकर बाढ़ एवं कटाव से लोगों को भारी क्षति हो रही है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्री जी, भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गोपालगंज जिले में गंडक नदी में भारी मात्रा में गाद (सिल्ट) है, जिसका बाढ़ एवं कटाव मुख्य कारण है। बाल्मीकि नगर से सोनपुर तक पाइलट चैनल के माध्यम से नदी के सिल्टेशन को घटाया जाये।

(तीन) स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के जरिए कैंसर के संबंध में जागरूकता पैदा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : कैंसर अब भारत में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन चुका है। दिल की बीमारियों से होने वाली मौत के बाद कैंसर का ही नंबर आता है। खतरनाक बात यह है कि कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके कारण के बारे में चिकित्सा जगत में अब भी सुनिश्चित ज्ञान का अभाव होने के कारण मुंह और गर्भाशय के कैंसर के अलावा किसी भी कैंसर को रोकने का कोई पक्का तरीका सामने नहीं आया है। प्रदूषण जैसे कारकों को अगर कैंसर के लिए जिम्मेदार मान भी ले तो इसे कम करना आधुनिक जीवन शैली का प्रश्न है और इसका कोई आसान रास्ता नहीं है।

कुल मिलाकर वैज्ञानिक अनुसंधान का लगभग चरमोत्कर्ष माने जाने वाले मौजूदा दौर में भी करोड़ों लोगों के पास कैंसर के साथ जीने और मर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। लोक सभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि भारत में हर साल कैंसर से लगभग साढ़े ग्यारह लाख मामले सामने आते हैं, वहीं कैंसर से हर साल मरने वालों की संख्या पांच लाख से ज्यादा है। दोनों की ही संख्यायें लगातार बढ़ रही हैं। पुरूषों में ज्यादातर कैंसर के मामले में फेफड़ा, मुंह और पेट के होते हैं जबकि महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर स्तन, बच्चेदानी व पेट के होते हैं।

महामारी की शक्ल ले चुकी इस बीमारी को अगर समय रहते न रोका गया तो भारत के हेल्थकेयर सेक्टर का सारा बजट खर्च करके भी कैंसर की त्रासदी से निपटना संभव नहीं हो पाएगा अर्थात् इसे देखते हुए कुछ नए तरीके अपनाने की जरूरत है जिससे देश की आबादी कैंसर के खतरों को जान सके, उससे बचने की कोशिश करे और समय रहते कैंसर की पहचान करके उपयुक्त अस्पताल तक पहुंच सके तो ही शायद हम कैंसर को काबू में कर पाएंगे।

मेरा सुझाव है कि स्कूल शिक्षा के सिलेबस में कैंसर जागरूकता को एक आनिवार्य पाठ के रूप में शामिल किया जाए व इस पाठ्याक्रम में कैंसर क्या है, कैंसर की रोकथाम कैसे होती है, कैंसर को कैसे पहचाने और कैंसर के लक्षण दिखने पर क्या करें जैसी बुनियादी जानकारियाँ आम भाषा में शामिल की जाए।

(चार) उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित चित्रकूट में सूर्यकुंड अथवा बेदी पुलिया में एक रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट धाम प्रसिद्ध तीर्थ व पर्यटन स्थल आता है। प्रतिदिन हजारों यात्री रेल द्वारा आते हैं, जिन्हें नज़दीक हाल्ट स्टेशन न होने से भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। यात्रियों की संख्या प्रतिमाह अमावस्या को तो लाखों में पहुँच जाती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सूर्यकुण्ड व बेड़ी पुलिया के पास एक चित्रकूट द्वार के नाम से हाल्ट स्टेशन बनाने की आतिशीघ्र कृपा करें।

(पांच) जम्मू और कश्मीर के कारगिल में अस्पताल के निर्माण को पूरा करने हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री थुपस्तान छेवांग (लद्दाख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष कृतिक बल के तहत 5.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी करने के साथ 45.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर कुर्बाथांग, कारगिल में 200 बिस्तरों वाले चिकित्सालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 5.00 करोड़ रुपये की राशि का पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है और भवन के कुछ हिस्से का निर्माण कार्य किया जा चुका है। जिला प्राधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद परियोजना को पूरा करने के लिए कोई और निधि जारी नहीं की गई। चिकित्सालय की इमारत का निर्माण कार्य के समापन होना आवश्यक है क्योंकि कारगिल शहर के मध्य में स्थित वर्तमान इमारत मरीजों की बढ़ती संख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वर्तमान चिकित्सालय भवन में मूल सुविधाओं का अभाव है। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से परियोजना को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर 40.15 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) महिला कैदियों के कल्याण हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) : वर्तमान सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी द्वारा महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण पर काफी बल दिया गया है। मैं आज जो महिलायें किसी न किसी कारणवश जेल में बंद हैं, उनके विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूं कि जो कैदी विचाराधीन हैं, उनके संबंध में मंत्रालय की क्या नीति है? कौन से कदम उठाया जा रहे हैं? कई बार उनके उत्पीड़न, यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। पिछले 2 साल में ऐसे कितने मामले देशभर में सामने आये? साथ ही साथ उनको मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उस हेतु कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की क्या व्यवस्था है? उनकी रिहाई के बाद पुनःवास हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? वे फिर से मुख्यधारा में सक्रिय रहे एवं अपराधिक रास्तों पर वापस न जायें साथ ही साथ जिन कैदियों के साथ उनके बच्चे रह रहे हैं, उनकी शिक्षा, संस्कार एवं स्वास्थ्य का उचित विकास हो उस हेतु जेल प्रशासन द्वारा एन.जी.ओ. एवं समाज में से ऐसे विषयों में रूचि रखने वाले यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से साइकोलोजी विभाग के विद्यार्थियों को नियुक्त किया जाये, ऐसा मेरा सुझाव है। साथ ही साथ जेल में बंद रहते समय उनके द्वारा किये गये कार्यों से उनको मिलने वाली आर्थिक राशि में से कुछ राशि की व्यवस्था सरकार कुछ इस प्रकार से करे ताकि वे वह पैसा उनको रिहाई के बाद पुनर्वसन में उपयोगी हो सके। मेरा यह भी सुझाव है कि इस हेतु क्रेडिट सोसायटी के तौर पर सरकार कुछ व्यवस्था करे। ताकि रिहाई के बाद उन पैसों से क्रेडिट सोसायटी से सहायता प्राप्त हो सके।

(सात) बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन के फेरों की संख्या बढ़ाने और इस ट्रेन में सभी श्रेणियों में आरक्षित बर्थ की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : बीकानेर से दादर के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन नं. 12489/12490 के फेरे बढ़ाने की माँग भी की जा चुकी है। इस ट्रेन को जिले से पर्याप्त राजस्व भी मिल रहा है। यात्री भार को देखते हुए इसके फेरे पर्याप्त नहीं हैं। यदि इस गाड़ी को भी नियमित कर दिया जाए तो रेल राजस्व में इजाफा होगा साथ ही साथ यात्रियों को लंबी प्रतीक्षा सूची से भी राहत मिलेगी।

बीकानेर-दादर सुपरफास्ट ट्रेन नं. 12489/12490 में यात्रा करने वाले यात्रियों की आधिकांश संख्या जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, धानेरा आदि क्षेत्र के यात्रियों की होती है। क्योंकि बीकानेर व जोधपुर से तो मुंबई के लिए अलग रूट पर कई ट्रेन संचालित हैं, लेकिन इस ट्रेन में जोधपुर, समदडी से लेकर पालनपुर तक सभी स्टेशनों का आरक्षण कोटा स्लीपर क्लास में मात्र 42 व थर्ड ए.सी. में मात्र 8 बर्थ का कोटा है, जो कम हैं। मजबूरन यात्रियों को बीकानेर से या बीकानेर तक के टिकट लेने पड़ते हैं। अतः जोधपुर एवं उसके आगे के स्टेशनों का पूल्ड कोटा बढ़ाया जाए।

(आठ) राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जयसमन्द झील में नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति हेतु परियोजना से संबंधित प्रारूप परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) के प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर) : मैं सरकार का ध्यान उदयपुर लोक सभा क्षेत्र में स्थित एशिया की सबसे बड़ी झील जयसमन्द झील की तरफ दिलाना चाहता हूँ। किसी जमाने में पानी से भरपूर भरी रहने वाली जयसमन्द झील आज कई अवरोधों व बहाव क्षेत्र में निर्मित छोटे-छोटे एनीकटों के बन जाने के कारण पानी से पूरी तरह भर नहीं पा रही है। जयसमन्द झील के नीचे व केचमैंट क्षेत्र में कई ग्रामों के परिवारों की आय सिर्फ कृषि कार्यों पर निर्भर है। उनका जीवन-यापन जयसमन्द झील की सिंचाई पर ही निर्भर है, लेकिन कई बार झील खाली रहने पर उनको हमेशा सिंचाई से वंचित रहना पड़ता है।

उदयपुर विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी अपना विशेष स्थान रखता है। प्रतिवर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटक इस जयसमन्द झील को देखने आते हैं, परंतु पानी से खाली झील को देखकर उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है।

जयसमन्द झील को सिंचाई व पर्यटकों हेतु सदैव पानी से भरी रखने के लिए राजस्थान सरकार ने एक डी.पी.आर. भारत सरकार को भिजवाई है, जिसमें मुख्यतः जाखम, अनास व माही नदी से व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को नागलिया पिकअप वियर व सुरंग एवं खुली नहर के द्वारा गुरूत्व प्रवाह से जयसमन्द झील में डाला जाएगा और यह योजना चार चरणों में पूरी होगी तथा इसके लिए लगभग 963.00 करोड़ रूपए की लागत आएगी।

अतः मैं भारत सरकार से माँग करता हूं कि आतिशीघ्र राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गये डी.पी.आर. प्रस्ताव को मंजूर कर लगभग 963.00 करोड़ रूपए की धनराशि मुहैया कराने का

कष्ट करें। जिससे जयसमन्द झील को हमेशा पानी से भरा जा सके और झील के आस-पास निवासरत ग्रामों के कृषकों और झील देखने आने वाले पर्यटकों को अतिशीघ्र लाभ मिल सके।

(नौ) सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गांवों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : केन्द्र सरकार के द्वारा राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं को राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा नियमानुसार लागू नहीं किया जा रहा है। खासकर सांसदों द्वारा "सांसद आदर्श ग्राम योजना " के तहत चयनित ग्रामों के विकास में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पर्याप्त रूचि नहीं दिखाई जा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में "सांसद आदर्श ग्राम योजना " के तहत चयनित ग्राम "सारे खुर्द " जनपद सन्त कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) में आज तक किसी आधिकारी ने वहां जाकर विकास कार्य की समीक्षा नहीं की है। यह बहुत गंभीर विषय है। हमारी सरकार से मांग है कि जांच कराकर दोषी आधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

मेरी सरकार से यह भी मांग है कि "सांसद आदर्श ग्राम योजना " के तहत चयनित ग्रामों के विकास हेतु गाइडलाइन्स बनाकर संबंधित आधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(दस) उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर अथवा सहारनपुर में चिकनगुनिया और डेंगू के उपचार हेतु पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं वाले चिकित्सालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : विगत 2 महीनों के अंतराल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चिकुनगुनिया का भारी प्रकोप रहा। मेरे लोकसभा क्षेत्र कैराना में एक भी गांव या नगर ऐसा नहीं बचा जहां के नागरिक चिकनगुनिया के शिकार न रहे हों। कई परिवारों में तो समस्त सदस्य चिकनगुनिया से पीड़ित रहे और तीमारदारी के लिए कोई नहीं बचा। दुर्भाग्य से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भी जनपद में एक भी चिकित्सालय या संस्थान में चिकनगुनिया या इस प्रकार की गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा नहीं है। विवश होकर लोगों को दिल्ली या चण्डीगढ़ जाना पड़ा, परंतु वहां पर भी उनको प्रवेश करने में अत्यधिक कठिनाई हुई। चिकित्सालय के अभाव में अनेकों लोग इस बीमारी के शिकार हो गये।

मेरा सरकार से आग्रह है कि चिकनगुनिया व डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु उच्च कोटि के चिकित्सालय अथवा संस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर अथवा सहारनपुर में किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाये।

(ग्यारह) गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में डाकघरों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री देवुसिंह चौहान (खेड़ा): पूरे गुजरात राज्य में, विशेषकर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से खेड़ा, गुजरात में डाकघरों की नई शाखाएँ खोले जाने की तत्काल आवश्यकता है। हाल ही में यह साबित हो गया है कि केवल डाकघर ही ग्रामीण भारत में गरीब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, मौजूदा डाकघरों के किराए की दरों की समीक्षा और संशोधन करने की भी तत्काल आवश्यकता है क्योंकि कई मामलों में मालिक पुरानी दरों पर किराए जारी रखने में रुचि नहीं रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई कानूनी मामले होते हैं और पुरानी इमारतों आदि का रखरखाव नहीं हो पाता है।

(बारह) मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित नरसिंहगढ़ में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं के अनुरूप व छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध करने के उद्देश्य से केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हेतु विधिवत प्रस्ताव उचित माध्यम से प्रेषित किया गया है, मेरे द्वारा भी मंत्रालय से लगातार पत्राचार किया गया है, किन्तु आश्वासनों के बाद भी स्वीकृति में विलम्ब से बच्चों को पर्याप्त एवं उचित शैक्षिक सुविधाएं सुलभ नहीं हो पा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण की कमी से विद्यार्थियों का पलायन बड़े शहरों की ओर हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

मेरा मानव संसाधन विकास मंत्री जी से निवेदन है कि नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर आगामी सत्र से कक्षा संचालन प्रारंभ करने संबंधी करने संबंधी निर्देश प्रसारित कर अनुग्रहित करें।

(तेरह) भारतीय सेना में जाति आधारित रेजीमेंटों की नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): भारतीय सेना की चमार रेजीमेंट को 1946 में भंग कर दिया गया था, जो जाति आधारित कुछ भंग की गई रेजीमेंटों में से एक थी। जाति आधारित रेजीमेंटों की एक बड़ी संख्या सेवारत हैं, जिनमें राजपूत और जाट रेजीमेंटें भी शामिल हैं। केवल चमार रजीमेंट को भंग क्यों किया गया? यदि रक्षा मंत्रालय का उद्देश्य सभी जाति आधारित रेजीमेंट को भंग करना है, तो जाट और राजपूत रेजीमेंट को भी तुरंत भंग कर देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो चमार रेजीमेंट, खटीक रेजीमेंट, वाल्मिकी रेजीमेंट, धनकड़ रेजीमेंट आदि रेजीमेंट बनाकर भारतीय सेना में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(चौदह) केरल उच्च न्यायालय की कार्यवाही को कवर करने हेतु मीडिया पर तथाकथित रूप से लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मैं केरल उच्च न्यायालय और राज्य के विभिन्न न्यायालयों के परिसर में पत्रकारों के प्रवेश पर आभासी प्रतिबंध के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह अनौपचारिक प्रतिबंध 19 जुलाई को उच्च न्यायालय परिसर में पत्रकारों और वकीलों के एक समूह के बीच हुई झड़प के बाद से लागू है। झड़प के बाद, पत्रकारों को केरल उच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। उच्च न्यायालय से समाचार एकत्र करने के लिए, अब पत्रकार केरल उच्च न्यायालय के जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों पर निर्भर हैं। न्यायपालिका और मीडिया जिन्हें क्रमशः तीसरे और चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, लोकतंत्र के स्तंभ हैं। एक ऐसा वातावरण, जो न्यायपालिका और मीडिया की स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूँ।

(पंद्रह) नए करेंसी नोटों पर मणिपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में

डॉ. थोकचोम मेन्या (आंतरिक मणिपुर): आठवीं अनुसूची उन भाषाओं को सूचीबद्ध करती है जिन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 ने संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया ताकि कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को शामिल किया जा सके। कोंकणी और नेपाली भाषा करेंसी नोटों पर पहले ही शामिल हो चुकी हैं।

करेंसी नोटों पर मणिपुरी भाषा को शामिल करने की निरंतर मांग की जा रही है। पहले यह भाषा बंगाली लिपि में लिखी जाती थी। अब, मणिपुरी भाषा लिखने के लिए मूल लिपि का उपयोग किया जा रहा है और 10वीं कक्षा के छात्र 2015 से मूल लिपि का उपयोग करके अपनी एच.एस.एल.सी. परीक्षा में उपस्थित हुए थे। हम उम्मीद कर रहे थे कि 2000 और 500 रुपये की नए नोटों पर मणिपुरी लिपि छपी होगी। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। हम वास्तव में उपेक्षित महसूस करते हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि नए नोटों पर मणिपुरी भाषा को शामिल किया जाए।

(सोलह) केरल में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति कवरेज प्राप्त किया जाता है। केरल राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम पर निर्भर है कि इसके नागरिकों की सुरक्षित पेयजल तक स्थायी पहुंच हो।

कार्यक्रम के तहत केरल राज्य को आवंटित निधि में भारी गिरावट आई है। 2012-13 में 170.78 करोड़ रुपये अब 2015-16 में सिर्फ 45.28 करोड़ रुपये रह गये हैं। 73.49 प्रतिशत की कमी के साथ वित्तपोषण पद्धति के तरीके में बदलाव आया है, जो सामूहिक रूप से कार्यक्रम की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है।

दूसरी बड़ी चिंता संशोधित दिशानिर्देश हैं जो नई परियोजनाओं को गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों और सांसद आदर्श ग्राम योजना पंचायतों तक सीमित करते हैं।

केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में उपचारित जल का कवरेज केवल 30 प्रतिशत है और इसलिए पानी की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए तत्काल निवेश की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए केरल राज्य की निधियांतत्काल बढ़ाए जाने का आग्रह करता हूँ।

(सत्रह) तमिलनाडु के विरुधुनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के तोप्पुर में एम्स जैसे चिकित्सा संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. राधाकृष्णन (विरुधुनगर): केंद्र सरकार ने अपने पिछले बजट में घोषणा की है कि तमिलनाडु में एम्स की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरैची थलाइवी अम्मा ने तुरंत तमिलनाडु में 5 उपयुक्त स्थानों की पहचान की थी, जिसमें मदुरै जिले में मेरे विरुधुनगर निर्वाचन क्षेत्र में तोप्पुर भी शामिल था। केंद्रीय टीम जिसने पिछले साल अप्रैल में प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक तमिलनाडु में एम्स की स्थापना के लिए चयनित स्थान की घोषणा नहीं की है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि वह अविलंब तमिलनाडु में एम्स अस्पताल की स्थापना सुनिश्चित करें।

मदुरै में सरकारी राजाजी अस्पताल तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में लगभग 2 करोड़ लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। चिकित्सा देखभाल की बढ़ती मांग के साथ, इस क्षेत्र के लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए तोप्पुर में एम्स जैसे चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की बड़ी उम्मीद है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र विरुधुनगर में तोप्पुर में एम्स की स्थापना की घोषणा में तेजी लाए जाने और बिना किसी देरी के एम्स की स्थापना शुरू किए जाने का आग्रह करता हूँ।

(अठारह) करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के कारण तमिलनाडु के किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्री आर. गोपालकृष्णन (मदुरै): केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले ने ग्रामीण लोगों विशेषकर कृषक समुदाय को परेशानी में डाल दिया है। वे अपनी गाढ़ी कमाई को बदलने में असमर्थ हैं जो पुराने मुद्रा नोटों में है। वे नोट भी बदल नहीं पा रहे हैं। सहकारी बैंकों के लिए आर.बी.आई. के नो एक्सचेंज नियम का असर किसानों पर पड़ता है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ और अन्य सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लाखों किसान पूरी तरह से इन समितियों/बैंकों पर निर्भर हैं। पुराने करेंसी नोटों को बदलने का मामला भी कुछ ऐसा ही है।

जैसा कि सरकार को पता है, यह बुवाई का मौसम है। किसानों को बीज, उर्वरक आदि खरीदने की आवश्यकता होती है। उनके अधिकांश लेन-देन नकदी होते हैं। कार्ड/पेमेंट वॉलेट आदि के माध्यम से भुगतान करने की तकनीक का अभी तक गाँवों में उतना विस्तार नहीं हुआ है। उन्हें सहकारी समितियों/बैंकों से आवश्यक सहायता नहीं मिल रहा है क्योंकि नई करेंसी नोटों की अनुपलब्धता के कारण वे मुश्किल में हैं।

इसलिए, मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले को आर.बी.आई. के समक्ष उजागर करें और ग्रामीण क्षेत्रों और तमिलनाडु के किसानों के बीच नकदी प्रवाह को आसान बनाने के लिए सहकारी समितियों/बैंकों को पर्याप्त संख्या में नई करेंसी नोटों की आपूर्ति करने के लिए आर.बी.आई. को निर्देश दें। इसके अलावा, आर.बी.आई. को अपने नियमों और विनियमों में ढील देनी होगी और सहकारी समितियों/बैंकों को पुराने नोट बदलने की अनुमति देनी होगी ताकि किसान अपने पुराने नोट बदल सके।

(उन्नीस) स्कूलों में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिंस प्रदान करने हेतु वेंडिंग और इनसिनरेटर मशीन लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): मासिक धर्म के दौरान किशोरियां स्कूल जाने में सहज महसूस नहीं करती हैं। वे विशेष रूप से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में घर में बने नैपकिन का उपयोग करती हैं, जिससे इस अवधि के दौरान सामान्य सामाजिक जीवन जीना उनके लिए और भी असुविधाजनक हो जाता है। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे स्कूलों में वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर मशीनें स्थापित करने के लिए पहल करें ताकि लड़कियां जरूरत के समय सुविधाओं का लाभ उठा सकें, जिससे हम उनके लिए अच्छी स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं और उन्हें बिना किसी चिंता के स्कूल जाने में मदद कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों में वेंडिंग और इंसीनरेटर मशीनें स्थापित करने की पहल की है, लेकिन हमारी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि लड़कियों को सभी बुनियादी आवश्यकताएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(बीस) उड़ीसा के कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिल्ला सल्की नदी के ऊपर बहुउद्देश्यीय चेक डैम का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह (कंधमाल): मैं उड़ीसा के कंधमाल निर्वाचन क्षेत्र के पिल्ला सल्की नदी के ऊपर बहुउद्देशीय चेक डैम के निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। यह परियोजना उड़ीसा के कंधमाल जिले के खजुरीपाड़ा ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों और फूलबनी नगर पालिका के तेरह वार्डों के लाखों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। परियोजना के महत्व को देखते हुए, मैं कंधमाल जिले के विकास के लिए सिंचाई, पेयजल, मिनी जल विद्युत उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए पानी के संरक्षण के लिए 200 बहुउद्देशीय चेक डैम बनाने का अनुरोध करती हूँ। इन दो सौ बांधों के अलावा, फूलबनी में पिल्ला सल्की नदी पर तीन चेक डैम और फूलबनी में सल्की नदी को जोड़ने वाली एक नहर के निर्माण से पीने के पानी, सिंचाई और अन्य उद्देश्यों की समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए, यदि इसे जनहित में स्वीकार किया जाता है तो मैं आभारी रहूँगी।

(इक्कीस) लोनावला और खंडाला की यात्रा करने वाले पर्यटकों हेतु वाहन पार्किंग सुविधा की व्यवस्था करने के लिए लोनावला रेलवे स्टेशन के निकट खाली पड़ी रेल भूमि का महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : मेरे संसदीय क्षेत्र में लोनावाला, खंडाला नाम से हिल स्टेशन आते हैं। इन हिल स्टेशन पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक पर्यटन हेतु आते हैं और यहां पर पर्यटकों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। यह हिल स्टेशन पूना-मुंबई के बीच में पड़ता है। इसी के अंतर्गत पूना-मुंबई के बीच में लोनावाला रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों की गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं। जिसकी वजह से यहां पर कई बार गाड़ियां चोरी होने की घटनाएं होती हैं तथा गाड़ी पार्क करने के लिए जगह कम होने के कारण यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जबकि लोनावाला रेलवे स्टेशन के पास रेल विभाग की जगह खाली है। इस जगह पर कई सारे गैर-कानूनी व्यवसाय चल रहे हैं और रेलवे की इस जगह का इस्तेमाल गैर-कानूनी व्यवसाय के लिए हो रहा है।

मेरा सुझाव है कि अगर रेल विभाग द्वारा इस खाली जगह को लोनावाला नगर परिषद या महाराष्ट्र राज्य सरकार को पार्किंग के लिए दिया जाए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होने के साथ ही साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी बड़ी राहत मिलेगी और लोनावाला, खंड़ाला में आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और स्थानीय नागरिकों को रोज़गार भी प्राप्त हो जायेगा।

(बाईस) अर्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को सैन्य बलों के कार्मिकों के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सेवा लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : देश की सशस्त्र सेना पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संरक्षण एवं अर्थ-विभागों ने दीर्घकालीन सशस्त्र सेना दलों की समस्याओं को हल करने हेतु "वन रैंक-वन पेंशन " (ओ.आर.ओ.पी.) जैसा प्रबंध किया उसके लिए सभी पूर्व सैनिक आदरणीय मोदी जी का समर्थन ही करेंगे।

आज मैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बारे में कुछ अहम सवाल उठाना चाहता हूं। आप सभी को पता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी (बी.एस.एफ.), इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आई.टी.बी.पी.), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फॉर्स (सी.आर.पी.एफ.) व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ) के अफसर एवं कर्मचारियों की देश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने एवं देश की सीमाओं की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं उनकी इस भूमिका एवं योगदान को किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं आंका जा सकता।

इन सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मी सीमाओं पर रहते हैं तो उनके परिवार के सदस्यों को अपने गांव, देहातों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पिछले दो माह में मेरे संसदीय क्षेत्र हातकंणगले (जिला कोल्हापुर और सांगली) में तीन वीर जवानों को दुश्मन से लड़ते समय वीरगति प्राप्त हुई है। सरकार वीरगति प्राप्त जवानों के परिवारों को कुछ आर्थिक मदद तुरंत सौंप तो देती है, लेकिन उनके घर, जमीन आदि प्रॉपर्टी का रक्षण करने हेतु कोई प्रबंध नहीं करती। दूसरी ओर सैन्य बलों जैसा वेतन और समयोपरि भत्ते एवं कैंटीन सुविधा इन लोगों को उपलब्ध नहीं होती।

आज हमारी तीनों सेना दलों के साथ-साथ इन सभी पुलिस दलों के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करने हेतु तैनात हैं, इसलिए हम यहां चैन की सांस ले सकते हैं। इसे हमको भूलना चाहिए। इसके साथ-साथ इन्हीं चारों पुलिस बलों के जवान अगर वीरगति प्राप्त करते हैं,

तो उन्हें भी सैन्य बलों जैसा शहीदों का दर्जा मिले उसके लिए कोई कानून में संशोधन करना या प्रावधान करना हो तो उसके लिए सरकार द्वारा तुरंत कदम उठाने की नितांत आवश्यकता है।

[अनुवाद]

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल 2 दिसंबर, 2016 को पूर्वाह्न 1100 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 2016 / 11 अग्रहायण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित